

# प्रेस नोट दिनांक- 29.11.2024

## थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना चकिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा किये गये वारदात को चकिया पुलिस ने सफल अनावरण करते 06 बैट्री की बरामदगी करते हुए 04 अभ्यस्त चोरो को किया गिरफ्तार

**चन्दौली-** पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, चोरी की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 27.11.2024 को ग्राम रामपुरकला में बने पानी टंकी के पास बने कमरे में लगे सोलर पैनल की चार बैट्री की अज्ञात चोरो ने चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया।

आज दि. 29.11.2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये माल की बरामदगी करते हुए 04 अभियुक्तों को दुलहिया माता मंदिर के पास ग्राम भटवाराकला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी ग्राम मैनपुर थाना बुबुरी में बने पानी की टंकी में लगे सोलर पम्प को चलाने वाली बैट्री को भी चोरी किये थे व लगभग तीन महीना पहले ग्राम अमरा उत्तरी थाना चकिया में सड़क के किनारे खड़े दो ट्रकों से भी चार बैट्री को चोरी किये थे।

**पूछताछ विवरण-** पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों 01 अन्य साथी के साथ मिलकर बैट्री चोरी करते हैं तथा उसको एक निश्चित जगह पर इकट्ठा छिपा कर रख देते हैं मौका मिलने पर उसे वाहनो में लाद कर ले जाकर कबाड़ियों को बेच देते हैं जो पैसा मिलता है उसको बराबर बराबर बाँट लेते हैं। हम लोगो ने दिनांक 26/27-11-2024 की रात्रि में रामपुर कला में बने पानी की टंकी में लगे सोलर पम्प को चलाने वाली बैट्री (जो कमरे में लगी थी) को ताला तोड़कर चुराये थे।

चार बैट्री को ग्राम मैनपुर थाना बुबुरी में बने पानी की टंकी में लगे सोलर पम्प को चलाने वाली बैट्री को दिनांक 12/10/2024 को रात्रि 11से12 बजे के बीच चुराये थे सभी बैट्रियों को दुलहिया माता मंदिर के पीछे पहाड़ी व झाड़ियों में छिपाकर रख दिये थे

तत्पश्चात बताया कि लगभग तीन महीना पहले ग्राम अमरा उत्तरी थाना चकिया में सड़क के किनारे खड़े दो ट्रकों से हम पाँचों व्यक्तियों ने मिलकर चार बैट्री को चोरी किये थे जिसको छुपाकर रख दिये थे तथा मौका मिलने पर हम पाँचो लोग उन चारों बैट्रियों को फेरी कर कबाड़ खरीदने वाले कबाड़ी को 20000/रुपये में बेच दिये थे तथा उससे प्राप्त रुपये को हम पाँचो लोग आपस में बराबर बराबर बाट लिये थे।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व गिरफ्तारी का स्थान-

1.अंश पटेल पुत्र शमशेर पटेल उर्फ शेरू निवासी मैनपुर थाना बुबुरी जनपद चन्दौली

2. शुभम कुमार गौड़ पुत्र धर्मेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम विसौरा कला थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर
3. शिवम पान्डे पुत्र गणेश पान्डे निवासी ग्राम नौडीहा थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर
4. अमरेश पाल पुत्र प्यारे पाल बन इमिलिया थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर हाल पता ग्राम नौडीहा थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर को

#### अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 218/2024 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु.अ.सं. 156/2024 धारा 303(2)/ 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. मु.अ.सं. 132/24 धारा 305(e) बीएनएस थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।

#### बरामदगी का विवरण-

- 1.06 बैट्री Eastman ENERGY UNLIMITED C 10 कम्पनी की 150 AH
- 2.04 मोबाइल
- 3.नगदी-8000/- रूपया

#### गिरफ्तारी टीम का विवरण: -

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. 30नि0 अवधेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
3. 30नि0 गंगाधर मौर्य थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
4. हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
5. हे0का0 दीपचन्द्र गिरि थाना चकिया जनपद चन्दौली
6. का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
7. का0 अभिषेक सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

## थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा द्वारा एक अदद पिकप वाहन में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 10 राशि गोवंश बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे गौ तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 29.11.2024 को उ0नि0 बब्बन सिंह चौहान मय हमराहियान चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दिया गया कि एक बोलेरो पिकप वाहन संख्या UP65JT3964 जिसमें कुल 10 राशि गोवंशों को क्रूरता पुर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है प्राप्त सूचना पर उ.नि. बब्बन सिंह चौहान मय हमराहियान द्वारा इण्डियन आयल एकता पेट्रोल पम्प से 100 मीटर दूर NH-2 हाइवे पर ग्राम बगही कुम्भापुर के पास चेकिंग के दौरान एक अदद बोलेरो पीकप वाहन मय गोवंशों की बरामदगी की गयी। वाहन चालक पुलिस चेकिंग देख चेकिंग स्थान से कुछ दूर पहले ही वाहन खड़ा कर फरार हो गया। गोवंशो बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 215/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### **बरादगी का स्थान**

इण्डियन आयल एकता पेट्रोल पम्प से 100 मीटर दूर NH-2 हाइवे पर ग्राम बगही कुम्भापुर से

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. एक अदद बोलेरो पीकप वाहन संख्या UP65JT3964
2. 10 राशि गोवंश

### **बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –**

1. निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उप निरीक्षक- बब्बन सिंह चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. का0 रामबाबू राजभर थाना सैयदराजा चन्दौली ।
4. का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा चन्दौली ।